


C.No 246/2019 अमरनाथ v/s मंदिर महादेव

3/6/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण अनुपस्थित रहे हैं। वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण को शाम 6:00 बजे तक रोक-रोककर 3 बार डाकवापस लगाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे हैं। नार्थी उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। अतः प्रार्थीगण का हार्थीगपत्र आदेश 9 विषय 3 CPC के तहत डाकम राजकी फेरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल मुगल होकर नम्बर दो व्यक्त है।


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न्यायालय श्रीमान उ

राजस्

1 श्री अमरनाथ व्यस्

मैनेजर/ट्रस्टी

परबतसर नि

2 श्री लहरीनाथ

मैनेजर

पर

3. श्री